जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

जयपुर डिस्कॉम की सख्त कार्यवाही

कनिष्ठ अभियन्ता व टेक्निकल हैल्पर निलम्बित

जयपुर, 20 नवम्बर। जयपुर डिस्कॉम द्वारा मंगलवार को आदेश जारी कर एक कनिष्ठ अभियन्ता व एक टेक्निकल हैल्पर को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

जयपुर डिस्कॉम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया कि सहायक अभियन्ता (पवस), जयपुर डिस्कॉम, गोविन्दगढ–अलवर के अन्तर्गत बरोदा–मेव सब आफिस के कनिष्ठ अभियन्ता विजय सिंह यादव व टेक्निकल हैल्पर (फीडर इंचार्ज) सरन सिंह द्वारा सर्कस को अवैद्य कनेक्शन देकर बिजली चोरी करवाने के कारण निलम्बित किया गया है। इन दोनो का निलम्बन अधीक्षण अभियन्ता (पवस), जयपुर डिस्कॉम, अलवर की अनुशंषा पर किया गया है।

उन्होंने बताया कि निलम्बन काल में कनिष्ठ अभियन्ता विजय सिंह यादव व टेक्निकल हैल्पर (फीडर इंचार्ज) सरन सिंह का मुख्यालय अधीक्षण अभियन्ता (पवस), जयपुर डिस्कॉम, अलवर के कार्यालय में रहेगा।

––––

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 841/2018